

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)

अधिसूचना

संख्या-एस०ओ०-...../ गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या-एस०ओ०-11862, दिनांक- 26.12.2016 के क्रम में तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम -1980 (सं० -65/1980) की धारा -3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक- 01.04.2017 से दिनांक- 30.06.2017 तक और तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे।

पटना, दिनांक-...../

(जे०/डी०ई०मिस०-105/1996)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(चन्द्रशेखर सिंह)  
सरकार के अपर सचिव।

एस०ओ०-...../ एस०ओ०  
का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।  
अनु०-अंग्रेजी अनुवाद।

पटना, दिनांक-...../

(जे०/डी०ई०मिस०-105/1996)  
बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(चन्द्रशेखर सिंह)  
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../सी०  
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-...../

2. उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना (अंग्रेजी अनुवाद सहित) को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय और इसकी 100(सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को तुरंत भेजी जाय।

अनु०-अंग्रेजी अनुवाद।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

**Subject-Powers conferred to all Distrates by Section-3 of the National Security Act-1980**

ज्ञापांक-...../सी०  
प्रतिलिपि:-राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनु०-अंग्रेजी अनुवाद।

पटना, दिनांक-...../

ह०/-


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../सी०  
प्रतिलिपि:-श्री श्याम मोहन दूबे, आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक-22, दिनांक- 05.08.2010 के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-...../

सरकार के अपर सचिव।





**Government of Bihar**

Home Department  
(Special Branch)

**NOTIFICATION**

Patna, the dated-.....24-3-17.....

No.-.....2445...../C In continuation of Home (Special) Department, Notification No.-11862 dated-26.12.2016 in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section-3 of the National Security Act, 1980 (No.-65/1980), the State Government has been pleased to direct that All District Magistrates of the state of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.04.2017 to 30.06.2017.

(J/DE-Misc-105/1996)

By order of the Governor of Bihar

*Handwritten signature and date: 24/3/2017*

**(Chandra Shekhar Singh)**

Additional Secretary to Government.

*Handwritten signature and date: 24/3*